समाहरणालय, बक्सर
(आपूर्त्ति शाखा)

कार्यालय – आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–प्र07–कि0आ0– **02/2018–3807**/खाद्य, पटना दिनांक **08.08.2018** के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में बक्सर जिला हेतु द्वितीय त्रैमास के माह– **अगस्त,** 2018 के लिए प्राप्त किरासन तेल आवंटन में पूर्व माह के शेष से कटौती करते हुए **375513.00** लीटर किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे संलग्न सूची के अनुसार अनुमण्डल पदाधिकारियों को उनके अनुमण्डल के कार्ड धारक परिवारो की संख्या के आधार पर माह– **अगस्त,** 2018 के लिए किरासन तेल का उपावंटन किया जाता है तथा उसके वितरण के लिए विभाग से प्राप्त आदेश, ज्ञापांक 1869/खाद्य दिनांक 13.04.2018 के आलोक में निम्नलिखित निदेश दिये जाते है :–

1. विभागीय आदेश ज्ञापांक 1869/खाद्य दिनांक 13.04.2018, से प्राप्त निदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार 1.50 लीटर की दर से राशन कार्ड के आधार पर किरासन तेल उपलब्ध कराया जाएगा तथा **Non-NFSA** ग्रामीण परिवारों को पूर्व निर्गत ए0पी0एल0 कार्ड अथवा पुरानी पारिवारिक सर्वेक्षण सूची के आधार पर एवं आधार संख्या तथा बैंक अकाउंट अथवा फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर प्रति परिवार 1.50 लीटर की दर से किरासन तेल वितरण किया जाएगा।
2. विभागीय पत्रांक 1869/खाद्य दिनांक 13.04.2018 के कंडिका 2 के अनुसार विभागीय पत्रांक 1004 दिनांक 22.03.2006 में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षत्रों के झुग्गी–झोपड़ी, छात्रावास, रैन–वसैरा, दलित कॉलोनी इत्यादि में वितरण हेतु प्रत्येक ठेला भेण्डर को प्रतिमाह 400 लीटर किरासन तेल का प्रावधान किया जाता है। उक्त उपावंटित किरासन तेल का वितरण निगरानी समिति एवं संबंधित पदाधिकारियों की देख–रेख में कराते हुए तदनुरुप भण्डार पंजी, बिक्री पंजी, कैशमेमों का संधारण किया जाएगा, जिसका समय–समय पर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जॉच कराते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा। दोनों अनुमण्डल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ठेला वेण्डर, भण्डार/ब्रिकी पंजी संधारित करते हुए कैशमेमों के आधार पर किरासन तेल का वितरण करें।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने अनुमण्डल के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से गत माह के वितरित तेल के आधार पर अवशेष तेल की मात्रा का समायोजन करते हुए किरासन तेल का उपावंटन सूची अपने स्तर से दो दिनो के अन्दर निश्चित रुप से निर्गत करेंगे तथा उपावंटन की एक प्रति जिला आपूर्ति शाखा को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेगें।
4. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं के साथ सम्बद्ध करते समय उपभोक्ताओं के व्यापक हित को ध्यान में रखकर प्रखण्डों को वहाँ अवस्थित थोक विक्रेताओं से ही सम्बद्ध करेंगे। जिस प्रखण्ड में थोक किरासन तेल विक्रेता कार्यरत नहीं है, उक्त प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता को उनके नजदीक के थोक किरासन तेल विक्रेताओं के साथ अनुमण्डल के भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध करेंगे।
5. जिला स्तर से थोक किरासन तेल विक्रेताओं को आवंटित किरासन तेल की मात्रा के अनुरुप ही जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं के साथ संबद्ध करना सुनिश्चित करेंगे।
6. अनुण्डल पदाधिकारी बक्सर / डुमरॉव को निदेशित किया जाता है कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओ का पंचायतवार रोस्टर तैयार कर निर्धारित रोस्टर पर तेल का उठाव सुनिश्चित करेगें। निर्धारित रोस्टर पर तेल के उठाव नहीं करने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

7. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किरासन तेल के मूल्य में की गयी वृद्धि के फलस्वरुप जिला स्तर से किरासन तेल विक्री का थोक एवं खुदरा मूल्य क्रमशः **24.25** रुपये प्रति लीटर एवं **25.25** रुपये प्रति लीटर निर्धारित है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्त्ति पदा० / आपूर्त्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित दर पर ही किरासन तेल की विक्री उपभोक्ताओं के बीच की जाय। निर्धारित दर से अधिक राशि पर विक्री की शिकायत प्राप्त होने पर अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्त्ति पदा० / आपूर्त्ति निरीक्षक सीधे जिम्मेवार होंगे।

8. ग्रामीण एवं सुदूरवर्त्ती थानों में रोशनी के लिए बक्सर जिला को आवंटित **1429** (एक हजार चार सौ उनतीस) लीटर किरासन तेल का उठाव पुलिस अधीक्षक, बक्सर थोक किरासन तेल विक्रेता **(मेसर्स कुटीर उद्योग, बक्सर)** से करना सुनिश्चित करेंगे।

9. अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव अपने अनुमंडल के लिए सुरक्षित तेल में से अनुमंडल अन्तर्गत अवस्थित सभी सरकारी कार्यालयों / संस्थानों को आवश्यकतानुसार उपावंटित कर उसका उठाव एवं वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। बक्सर अनुमण्डल सुरक्षित तेल में से **200** लीटर प्रताप सागर अस्पताल को उपावंटित किया जायेगा तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव प्रतिमाह वितरण पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. सभी थोक किरासन तेल विक्रेता अपने आवंटित तेल को विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार आई०ओ०सी०, पटना से शत–प्रतिशत उठाव कर जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को निश्चित रुप से ससमय वितरण कर देंगे। सभी थोक किरासन तेल विक्रेता अपने उठाव किये गये किरासन तेल की मात्रा को सूचना पट्ट पर तिथिवार अवश्य अंकित करेंगे।

11. सरकार से प्राप्त आवंटन के आधार पर थोक किरासन तेल विक्रेताओं को आई०ओ०सी० द्वारा आवंटित तेल की मात्रा के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के उपावंटित तेल की सूची भेजते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव तथा सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी / आपूर्त्ति निरीक्षकों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने देख–रेख में तेल का उठाव रोस्टर के अनुसार कराना सुनिश्चित करेंगे। किरासन तेल के उठाव में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर सारी जवाबदेही उनकी होगी।

12. विभाग द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि थोक किरासन तेल बिक्रेता, निर्धारित तिथि तक अपने आवंटित कोटा का तेल आई०ओ०सी० से उठाव नहीं कर रहे है। सभी थोक किरासन तेल बिक्रेताओ को निदेशित किया जाता है कि प्रत्येक माह निर्धारित तिथि यानी **10वी** तारिख तक आवंटन का **60%**, **17वी** तारिख तक **85%** एवं **25वी** तारिख तक **100%** तेल का उठाव आई०ओ०सी० पटना से हर हाल में करना सुनिश्चित करेगे तथा निर्धारित तिथि तक के उठाव का प्रतिवेदन जिला आपूर्त्ति शाखा को निश्चित रुप से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेगें। बिलम्ब की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। अनुमण्डल पदाधिकारी इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी / आपूर्त्ति निरीक्षक एवं थोक किरासन तेल विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे की किसी भी निलंबित / रद्द / स्थगित जन वितरण प्रणाली विक्रेता को तेल की आपूर्त्ति नहीं हो।

14. अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के पास निर्धारित मात्रा की आपूर्त्ति करने हेतु आवश्यक नपना उपलब्ध हो इसे भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस तेल का उपयोग सिर्फ खाना पकाने एवं रोशनी के लिए किया जायेगा तथा इसका उपयोग पेट्रोल / डीजल में मिलावट के लिए या अनाधिकृत रुप से नहीं किया जाएगा।

15. आवंटित तेल के मासिक उपावंटन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जिला के स्वीकृति के पश्चात ही मान्य होगा।

R 14/08/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 04-928/बक्सर, आपूर्त्ति दिनांक 14 /अगस्त/2018

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, बक्सर / अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी / आपूर्त्ति निरीक्षक / थोक किरासन तेल विक्रेता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर / आई०टी० मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

R 14/08/18

जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक 04-928/बक्सर, आपूर्त्ति दिनांक 14/ अगस्त/2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को भवदीय पत्रांक **3807**/खाद्य दिनांक **08.08.2018** के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

R 14/08/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर